सख्या– 461 /उन्तीस(2)10–2(07पे0)/2010

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड (हरिद्वार/अल्मोड़ा एवं चम्पावत को छोड़कर)

पेयजल अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 30 अप्रैल 2010

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिला योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पत्र संख्या 797/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/36 दिनांक 09.04.10 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) के अंतर्गत जिला योजना की सामान्य श्रेणी की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित विवरणानुसार जनपदवार कुल रू0 1404.52 लाख (रू0 चोदह करोड चार लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0स0	जनपद	परिव्यय	बजट के सापेक्ष मॉग
1	उत्तरकाशी	582.55	162.49
2	चमोली	127.79	38.50
3	रूद्रप्रयाग	66.34	20.43
4	टिहरी	1122.00	279.91
5	देहरादून	547.20	156.22
6	पौड़ी	1522.23	375.70
7	पिथौरागढ़	164.25	148.46
8	बागेश्वर	108.00	27.28
9	नैनीताल	556.96	144.76
10	उधमसिंह नगर	195.00	50.70
	योगः–	**4992.62**	**1404.52**

2– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड पेयजल निगम के संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार किश्तों में पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग अथवा 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। जिन जनपदों में पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो चुका है, वे आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर सकते है।

क्रमश..2.

3— कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

4— कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

5— व्यय करते समय बजट मेनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जायेगा।

6— स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतया चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनायें शेष न होने पर ही नये कार्यो पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरांत ही धनराशि व्यय की जायेगी।

7— उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा।

8— जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

9— स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही हैं अथवा जो विवादग्रस्त है।

10— व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11— स्वीकृत धनराशि से वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हों तथा जिला अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

12— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 30.06.2010 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

13— रू0 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर से जारी की जायेगी तथा रू0 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त जारी की जायेगी। स्वीकृतियों के प्रस्ताव जनपद/मण्डल स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर अर्थ एंव संख्या विभाग के जनपद/मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे, जो इन प्रस्तावों को परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

14— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के अनुदान संख्या —13 के लेखाशीर्षक—2215—जलापूर्ति तथा सफाई 01—जलापूर्ति—आयोजनागत—102—ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम—91—जिलायोजना—01—ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना— 20 —सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

क्रमश...3.

14– यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.08 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27.03.08 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव

संख्या–461(1)/उन्तीस/10–2 (07पे0)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त गढवाल/कुँमाऊ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
8– वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन।
9– संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल/कुमॉऊ।
10–आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
11–स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12–संबंधित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड पेयजल निगम संबंधित जनपद।
13– निदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक निदेशालय, देहरादून।
14– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
15– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव